

माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2024 को प्रातः 12:00 बजे आहूत परीक्षा/सम्बद्धता एवं अन्य बिन्दुओं की बैठक का कार्यवृत्त :-

बैठक में उपस्थित सदस्यगण :-

1. श्री रामजी शरण शर्मा, कुलसचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. प्रो० ओम प्रकाश सिंह, परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. प्रो० राधा बल्लभ सती, परिसर निदेशक, आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर देहरादून।
4. प्रो० पंकज कुमार शर्मा, प्रोफेसर/संकायध्यक्ष (आयुर्वेद), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून।
5. प्रो० दिनेश चन्द्र सिंह, परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर हरिद्वार।
6. प्रो० विपिन कुमार पाण्डेय, परिसर निदेशक, गुरुकुल परिसर हरिद्वार।
7. प्रो० सुधीर लाड, प्राचार्य, ओम आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हरिद्वार।
8. प्रो० सौरभ कुमार, डीन, क्वाड्ररा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रुड़की।
9. डॉ० संजय सैनी, प्रोफेसर, क्वाड्ररा इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रुड़की।
10. प्रो० सुधीर कुमार, प्रोफेसर, मदरहुड आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, रुड़की।
11. डॉ० हेमन्त सेमल्टी, एसोसिएट प्रोफेसर, देवभूमि मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, देहरादून।
12. डॉ० नवीन नौटियाल, परीक्षा प्रभारी, श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, उत्तरकाशी।
13. प्रो० अनिल कुमार झा, प्राचार्य, हिमालयीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डोईवाला, देहरादून।
14. डॉ० सुमित काम्बोज, निदेशक, उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राजपुर रोड़, देहरादून।
15. डॉ० मधुकर साल्वे, सह-प्राचार्य, उत्तरांचल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, राजपुर रोड़, देहरादून।
16. डॉ० कमलजीत सिंह आहूजा, प्राचार्य, विहाईव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
17. डा० राघवेन्द्र कौशिक, एसोसिएट प्राफेसर, विहाईव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, देहरादून।
18. डा० योगेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, अरोमा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हरिद्वार।
19. डा० पारूल चौहान, परीक्षा कोर्डिनेटर, कोर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हरिद्वार।
20. डा० अरुण कुमार, प्राचार्य, सूरजमल आयुर्वेद कालेज, किच्छा, उधमसिंहनगर।

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का बैठक में प्रतिभाग करने हेतु स्वागत किया गया। बैठक में परीक्षा से संबंधित एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय लेते हुये अवगत कराया गया :-

1. बैठक में निर्णय लिया गया कि एम०बी०बी०एस० की काउन्सलिंग प्रदेश में माह अगस्त, 2024 से प्रारम्भ होकर माह अक्टूबर, 2024 में समाप्त हो जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा बी०ए०एम०एस०, बी०एच०एम०एस० एवं बी०यू०एम०एस० की काउन्सलिंग दिनांक 15.10.2024 से प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है।



क्रमशः 2/

2. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउन्सलिंग में अपने काउन्सलिंग विवरण पुस्तिका में प्रवेश सूचना एवं छात्रावास की फीस तथा छात्रावास जहाँ अनिवार्य हो, की जानकारी का उल्लेख करना अनिवार्य है।
3. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि छात्रों से लिये जाने वाले शुल्कों का विस्तृत विवरण पुस्तिका में देना होगा। यदि कोई शुल्क/सुविधा निःशुल्क उसका भी विवरण तथा जो अनिवार्य शुल्क/सुविधा है, उसका भी विवरण कॉलेज द्वारा निर्गत विवरण पुस्तिका में करना अनिवार्य होगा।
4. बैठक में उपस्थित समस्त कॉलेजों को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत सूचना (सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं) दिनांक 23 मार्च, 2013 के अनुसार प्रत्येक निजी कॉलेज अपने-अपने प्रवेश विवरण पुस्तिका में अंकित करना आवश्यक होगा।
5. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के नामांकन फार्म विश्वविद्यालय से दिनांक 10.08.2024 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें तथा शैक्षणिक सत्र 2022-23 की विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा तिथि से 01 सप्ताह पूर्व नामांकन सूची एवं प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें। बैठक में कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि परीक्षा फार्म सभी छात्रों के एक साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय कदापि न लें।
6. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को अवगत कराया गया कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 पूरक परीक्षा एवं शैक्षणिक सत्र 2022-23 मुख्य परीक्षा दिनांक 02 सितम्बर, 2024 से आयोजित की जायेगी।
7. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को अवगत कराया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017, 2018, 2019, 2020 में अध्ययनरत् छात्रों की पूरक परीक्षा एवं शैक्षणिक सत्र 2019 चतुर्थ वर्ष/शैक्षणिक सत्र 2020 तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षा दिनांक 02 सितम्बर, 2024 एवं दिनांक 07 सितम्बर, 2024 से आयोजित की जायेगी।



क्रमशः 3/.....

8. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि परीक्षा उपरान्त उत्तरपुस्तिकाओं के सत्रवार पृथक-पृथक बंडल तैयार करें तथा प्रायोगिक परीक्षा की अवार्डलिस्ट सत्रवार पृथक-पृथक तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
9. बैठक में उपस्थित समस्त कॉलेजों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षाओं के दौरान यदि किसी प्रकार की राजकीय छुट्टी या अन्य छुट्टी आ जाती है और उस दिवस में परीक्षा है तो परीक्षा की तिथि बदली नहीं जायेगी। परिसर/कॉलेज द्वारा उक्त छुट्टी में परीक्षा सम्पन्न करायेगे।
10. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि समस्त कॉलेज सम्बद्धता शुल्कों की बकाया धनराशि जो अवशेष है तत्काल विश्वविद्यालय में जमा कर दें। सम्बद्धता शुल्कों की बकाया धनराशि के संबंध में ऑडिट द्वारा भी आपत्तियां अंकित की गयी है, जिसका निस्तरण अद्यतन तक नहीं हो पाया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त कॉलेजों को निर्देश दिया गया है कि यदि समस्त कॉलेज अपनी सम्बद्धता संबंधी बकाया धनराशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 की काउन्सलिंग से पूर्व जमा नहीं किया जाता है तो उस कॉलेज को काउन्सलिंग में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
11. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि वे अपने कॉलेजों में **Institutional Ethical Committee** का गठन करते हुये प्रस्ताव तत्काल विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
12. बैठक में निर्णय लिया गया कि बैच-2021 के पश्चात् अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं की इन्टर्नशिप यथासंभव उसी महाविद्यालय से की जायेगी, जिसमें वे अध्ययनरत् हैं। इन्टर्नशिप में एन0सी0आई0एस0एम0 के नियमों को पूर्णतः पालन किया जाए।
13. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को आयुष के क्षेत्र में ज्ञानार्जन हेतु अपने-अपने कॉलेजों में सेमिनारों का आयोजन समय-समय पर किया जाए। सेमिनार के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।



क्रमशः 4 /

14. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि यदि आप अपने कॉलेजों में आयुष पद्धति से संबंधित नये पाठ्यक्रमों को संचालन करना चाहते हैं, तो उनसे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें, ताकि विश्वविद्यालय उक्त प्रस्ताव को अपनी एकेडमिक काउन्सलिंग के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन उपरान्त आपके कॉलेजों में उक्त पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा सके।
15. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में आयुष विभाग के माध्यम से संचालित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर में छात्र-छात्राओं को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञानार्जन प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु समस्त कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि वे अपने स्तर से अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को 15-30 दिवस का प्रशिक्षण प्रदान करें।
16. बैठक में उपस्थित समस्त निजी कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि उत्तराखण्ड आयुष नीति के अनुसार द्रव्यगुण/रसशास्त्र विषय के छात्र-छात्रों को आयुष अस्पताल/आयुष फार्मसी से समन्वय स्थापित करते हुये 15 दिवस का इन्टर्नशिप/प्रशिक्षण करवाये।
17. बैठक में उपस्थित समस्त कॉलेजों को निर्देश दिये गये कि अपने-अपने कॉलेजों में आयुष प्लेसमेंट, Incubation Center, Patent & Intellectual Property rights cell की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव 15 दिवस के भीतर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव।

संख्या :- 718 /उ0आ0वि0/परीक्षा/2024-25/दिनांक : 14/08/2024

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. परिसर निदेशक, ऋषिकुल/गुरुकुल/मुख्य परिसर, हरिद्वार/देहरादून।
3. प्राचार्य/अधीक्षक, समस्त निजी आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

(रामजी शरण शर्मा)
कुलसचिव।